



## महोबा पुलिस

दिनांक- 31.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 116/26

सर्किल -कुलपहाड़, थाना - पनवाड़ी

### थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में गठित टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

उक्त क्रम में उ0नि0 सनय कुमार मय हमराह का0 उमेश कुमार द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त प्रमोद कुमार खंगार पुत्र बैजनाथ, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम हैवतपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू मु0नं0 6812/2021 एवं मु0नं0 8987/2022, सरकार बनाम प्रमोद कुमार, मु0अ0सं0 238/2020 व मु0अ0सं0 137/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत वारंट निर्गत था।

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को ग्राम हैवतपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

प्रमोद कुमार खंगार पुत्र बैजनाथ, उम्र लगभग 45 वर्ष  
निवासी ग्राम हैवतपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

#### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 सनय कुमार, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. आरक्षी उमेश कुमार, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा





## महोबा पुलिस

दिनांक- 31.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 117/26

सर्किल –नगर थाना - खन्ना

### थाना खन्ना की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोबा श्री अरुण कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना जनपद महोबा के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह मय हमराह उ0नि0 सुरेश कुमार सचान द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त मूलचन्द्र उर्फ घउवा पुत्र लक्ष्मीकुशवाहा, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम बदौरा कला थाना प्रकाश बम्हौरी जनपद छतरपुर (मध्य प्रदेश) को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध केस नं0 255/2013 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत माननीय न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) महोबा द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू वारंट लंबित था।

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को उसके निवास स्थान ग्राम बदौरा कला थाना प्रकाश बम्हौरी जनपद छतरपुर (मध्य प्रदेश) से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

मूलचन्द्र उर्फ घउवा पुत्र लक्ष्मीकुशवाहा, उम्र 33 वर्ष  
निवासी ग्राम बदौरा कला थाना प्रकाश बम्हौरी जनपद छतरपुर (मध्य प्रदेश)

#### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह, थाना खन्ना जनपद महोबा
2. उ0नि0 सुरेश कुमार सचान, थाना खन्ना जनपद महोबा

